संख्या-1/वे0आ0-2-08/दस-2023-ई0प0संख्या-1671607

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
न्याय विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 04 जनवरी, 2023**

विषय : विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशेष मेट्रो पोलिटन मजिस्ट्रेट तथा अधीनस्थ कार्मिकों को अनुमन्य मानदेय की दरों को संशोधित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1086/सात-न्याय-2-2011-201जी/95टी0सी0, दिनांक 26 जुलाई, 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशेष मेट्रो पोलिटन मजिस्ट्रेट तथा अधीनस्थ कार्मिकों को अनुमन्य मानदेय की दरों को संशोधित किया गया था। इस संबंध में वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर विचार हेतु गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 26 जुलाई, 2011 से निर्धारित मानदेय की दरों को निम्नवत संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है :--

पदनाम	मानदेय की वर्तमान दर	मानदेय की संशोधित दर
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट/ विशेष मेट्रो पोलिटन मजिस्ट्रेट	रू0 6000/- प्रतिमाह	रू0 9000/- प्रतिमाह
रीडर/अहलमद	रू0 4500/- प्रतिमाह	रू0 6750/- प्रतिमाह
चपरासी	रू0 100/- प्रतिदिन	रू0 150/- प्रतिदिन

2- उक्त संशोधित दरें तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी।

3- कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in